संख्या-1/2025/जी0-1-90/दस-2025-226/08

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 24 सितम्बर, 2025

विषय- वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के क्रम में मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु नगर पालिका परिषद/शहरी क्षेत्र जालौन की नगर श्रेणी में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3/2018/जी-1-102/दस-2018-226/2008, दिनांक 18 जुलाई, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के संदर्भ में प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए०आर० वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोडकर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जुलाई, 2018 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर मकान किराया भत्तों की दरों का पुनरीक्षण किया गया था। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2018 के प्रस्तर-2 में मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता हेतु श्रेणी 'अ', 'ब' एवं 'स' (अवर्गीकृत) श्रेणी में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से संबंधित तालिका दी गयी है।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मकान किराया भत्ता की देयता हेतु सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-3/2018/जी-1-102/दस-2018-226-2008, दिनांक 18 जुलाई, 2018 के प्रस्तर-2 की उपर्युक्त तालिका में 'स' श्रेणी केनगर में आच्छादित नगर पालिका परिषद/शहरी क्षेत्र जालौन को 'ब' श्रेणी में चिन्हित नगरों के साथ सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-3/2018/जी-1-102/दस-2018-226/2008, दिनांक 18 जुलाई, 2018 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा तथा इसकी अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
(2) प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, माध्यमिक/बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० शासन।
(3) महालेखाकार (लेखा/हकदारी) 1 व 2 उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
(4) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
(5) कार्यालय, उत्तर प्रदेश विधान सभा/परिषद सचिवालय।
(6) निदेशक, प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0,
(7) समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(9) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
अनुराग गुप्ता,
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।